


फर्द अहकाम

फुलीडेवी बनाम रामजीलाल

संख्या 325/2024 / 20

क्रमांक आदि त कार्यावली	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२५/५/२४	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अधिपक्ष नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधिपक्ष को बार-बार आवाज लगाते जाते। वादी व उनके अधिवक्ता की उमर से केई भी उपासित नहीं होये से वादी व वाड अडम राजी अडम पेश की के एकाज किया जाये। पत्रावली फलतु शुभाह है, दर्ज नम्याह के कम है, वक्त अधिल दफत है।</p>	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p>